(39)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः– श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 378–एक/2017 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 17–01–2017 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार मुरैना के प्रकरण क्रमांक 14/अ–27/2015–16

रामनिवास पुत्र रामचरन
निवासी– ग्राम शिकारपुर तहसील व
जिला मुरैना, म0प्र0

.... आवेदक

विरूद्ध

1. ओमप्रकाश पुत्र रामचरन ब्राम्हण
निवासी ग्राम शिकारपुर तहसील व जिला मुरैना
हाल निवासी सरस्वती नगर
भवन क 88 यूनिवर्सिटी रोड ग्वालियर
2. दिलीप कुमार
3. संजय
4. शिशुपाल
5. बृजकिशोर
6. देशराज पुत्रगण लक्ष्मीनारायण
7. आशीष पुत्र दिलीपकुमार
8. अनीलता पत्नी दिलीपकुमार
9. श्रीमती त्रिवेणी पत्नी लक्ष्मीनाराण
10 मधु पुत्री लक्ष्मीनारायण
सभी निवासी ग्राम शिकारपुर परगना
व जिला मुरैना म0प्र0

........................अनावेदकगण

....
श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक
....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 14 /7/2017 को पारित)

यह निगरानी मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार मुरैना के आदेश दिनांक 17–01–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य उभय पक्ष की ओर से ग्राम छोंदा परगना व जिला मुरैना की भूमि सर्वे कमांक 144, 154 व 975 के विभाजन हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार ने पटवारी मौजा से फर्द बटवारा बनाकर अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया जिसपर पटवारी ने उक्त सर्वे नम्बर के फर्द बटवारा प्रस्तुत किया। आवेदक द्वारा उक्त फर्द पर आपत्ति पेश प्रस्तुत की गई। तहसीलदार ने पुनः फर्द मंगाने के आदेश दिये जिसपर मौजा पटवारी ने पुनः संशोधित कुरे पेश किये जिसपर पुनः आवेदक की ओर से की दिनांक 17–1–17 को मौखिक आपत्ति पेश की। तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 17–1–17 के द्वारा न्यायहित में फर्द का प्रकाशन किये जाने का आदेश दिये। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार ने मौजा पटवारी से फर्द प्रस्तुत करने के आदेश दिये जिसपर मौजा पटवारी फर्द तैयार कर प्रस्तुत की गई जिसपर आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर विसंगतिपूर्ण फर्द के संबंध में तर्क श्रवण कर पटवारी को पुनः पटवारी को फर्द प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं। मौजा पटवारी द्वारा संशोधित फर्द प्रस्तुत किये जाने पर पुनः मौखिक आपत्ति प्रस्तुत कर संशोधित फर्द को पुनः संशोधित करने की आपत्ति प्रस्तुत की जिसे तहसीलदार ने निरस्त किया है। आवेदक के अनुरोध/आपत्ति पर ही पूर्व में संशोधित फर्द प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये थे, परन्तु संशोधित फर्द प्राप्त होने पर पुनः

उक्त फर्द में संशोधन कराने की आपत्ति आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने से ऐसा प्रकट होता है कि आवेदक उक्त बटवारा कार्यवाही को लंबित कराना चाहते हैं। इसके पूर्व भी व्यवहार न्यायालय से स्थगन नहीं होने के कारण तहसील न्यायालय ने कार्यवाही न रोकते हुये प्रकरण आगे कार्यवाही हेतु निरंतर रखे जाने के आदेश दिये गये थे जिसपर आवेदक द्वारा तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 16–8–16 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई थी। जहां पर राजस्व मण्डल ने प्रकरण कमांक 2916–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 08–12–2016 से निगरानी निरस्त की गई थी। अब पुनः आवेदक द्वारा फर्द पर आपत्ति के पश्चात आपत्ति प्रस्तुत की जा रही है। आवेदक के अनुरोध पर ही पूर्व में फर्द को संशोधित करने के आदेश दिये थे जिसके पश्चात पुनः फर्द मंगाकर प्रस्तुत की गई। अब पुनः आवेदक द्वारा उक्त फर्द को संशोधित कराने संबंधी आपत्ति प्रस्तुत की जाना औचित्यहीन प्रकट होती है। तहसीलदार द्वारा की जा कार्यवाही में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी निरस्त की जाती है। प्रकरण तहसीलदार मुरैना को अग्रिम कार्यवाही हेतु वापस भेजा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर